पत्र संख्या–फ.नं.49-जी0एस0टी0ऑडिट / 2023–24 / 351/2324024 / राज्य कर

कार्यालय–आयुक्त, राज्य कर, उ0 प्र0
(जी0एस0टी0 ऑडिट)
लखनऊ :: दिनांक :: 20 अक्टूबर, 2023

समस्त अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु ऑडिट के लिये चयनित फर्मो में से कई फर्म BI portal से प्राप्त नहीं होने, कुछ फर्म तकनीकी समस्या के कारण boweb portal पर अपलोड न होने तथा कुछ फर्म का क्षेत्राधिकार परिवर्तित होने के कारण उन फर्म को वर्तमान क्षेत्राधिकार वाले जोन में आंवटित करते हुए उन्हें विभागीय पोर्टल (NIC Portal) पर ऑडिट किये जाने हेतु जी0एस0टी0ऑडिट अनुभाग के पत्र संख्या–239 दिनांक–09.08.2023 से निर्देशित किया गया था।

विभागीय पोर्टल (NIC Portal) पर ऑडिट किये जाने हेतु दिनांक 15.01.2021 को जारी टैक्स ऑडिट मैनुअल के अनुसार प्री ऑडिट एवं पोस्ट ऑडिट रिव्यू हेतु जोनल ऑडिट रिव्यू कमेटी एवं लोकल ऑडिट रिव्यू कमेटी के गठन का प्राविधान किया गया था। जिनके अध्यक्ष क्रमशः जोनल अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) राज्य कर को नामित किया गया था।

मॉडल ऑल इण्डिया जी0एस0टी0ऑडिट मैनुअल 2023 में प्री ऑडिट एवं पोस्ट ऑडिट रिव्यू हेतु "Proper higher authority for approval" की व्यवस्था की गयी है। Bo-web Portal में जी0एस0टी0 ऑडिट हेतु "Proper higher authority for approval" के रूप में जोनल अपर आयुक्त द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत विभागीय पोर्टल (NIC Portal) पर ऑडिट किये जाने के लिये प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्री ऑडिट एवं पोस्ट ऑडिट रिव्यू हेतु जोनल ऑडिट रिव्यू कमेटी एवं लोकल ऑडिट रिव्यू कमेटी के स्थान पर क्रमशः जोनल अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) राज्य कर को, आयुक्त, राज्य कर द्वारा नामित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

20/10/23

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अपर आयुक्त (विधि)
राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–1–समस्त संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट), राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

2–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि NIC Audit Module में आवश्यक परिवर्तन कराना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त (विधि)
राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।